न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 71/2019 (2019/000429)

1. गोविन्द पुत्र रामेश्वर
   निवासी मेहरूकंला हाल निवासी प्लाट सं. 9 उदय गैस गोदाम के पास विशाल नगर माखुपुरा रोड अजमेर राज.
2. गोपाल पुत्र रामेश्वर 17-ए कैलाशपुरी कृष्णगंज अजमेर
3. श्यामसुन्दर पुत्र रामेश्वर निवासी मेहरूकंला प्लाट संख्या 11 प्रज्ञानगर कॉलोनी फाईसागर अजमेर

———प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर

——— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 23.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प मेंहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी मूलतः ग्राम मेहरूकंला तहसील सावर जिला अजमेर का निवासी है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम मेहरूकंला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
622–561	1023	0.45	चाही 1
	1024	0.67	चाही 1
	1025	0.05	जाव 1
	1026	0.05	गै.मु.चाह
	1027	0.06	चाही 1
	1028	0.29	चाही 1
	2590	0.34	बारानी 1
	2591	0.35	बारानी 1
	2597	0.36	बारानी 1
	2598	0.42	बारानी 1
	2836	0.55	जाव 3 चाही3
	2865	0.52	जाव 3 चाही3
	2866	0.13	जाव 3 चाही3
	2867	1.01	जाव 3 चाही3
	कुल किता 14	कुल रकबा 5.25 है.	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थनापत्र में आराजीयात 2015–18 तक की जमाबन्दी में वादीगण व भवानीशंकर पुत्र जगन्नाथ कोम ब्राम्हण निवासी मेहरूकंला का नाम राहखातेदार दर्ज है। राजस्व अधिकारियों की भूल एंव सहवन से तथा बिना किसी आधार के संवत 2072–75 की जमाबन्दी में भवानी शंकर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर भवानी शंकर पुत्र रामेश्वर का नाम दर्ज हो गई जो कतई गलत एंव विधि विरूद्व है जबकि प्रार्थीगण तीनों भाई ही है। राजस्व अधिकारियों ने भवानी शकर को रामेश्वर का पुत्र दर्ज किया है जो गलत है। भवानी शंकर के पिता का सही जगन्नाथ बतोर खातेदार दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भवानी शंकर पुत्र रामेश्वर का नाम विलोपित कर सही नाम भवानीशंकर पुत्र जगन्नाथ का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि ग्राम मेहरूकंला की जमाबन्दी स. 2015–18 के खाता स. 556 में भवानी शंकर व रामेश्वर पिसरान जगन्नाथ कोम ब्राम्हण दर्ज है। शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तूर है एंव यजमाबन्दी सं. 2072–75 के खाता स. 622 में भवानी शंकर ,गोविन्द ,गोपाल, श्यामसुन्दर पिसरान रामेश्वर कोम ब्राम्हण दर्ज है एवं शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तूर है। अतः श्रीमान जमाबन्दी स. 2015–18 के खाता स. 556 पुराना के आधार पर दुरूस्त कर भवानी शंकर पि.जगन्नाथ एंव गोविन्द, गोपाल, श्यामसुन्दर किया जाना उचित है। शेष जमाबन्दी अंकन बदस्तूर है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया । जमाबन्दी स. 2015–18 के खाता स. पुराने 556 में खातेदार का नाम भवानी शंकर व रामेश्वर रामकिशन व रामनारायण पिसरान जगन्नाथ दर्ज है। जबकि जमाबन्दी स. 2072–75 में भवानी शंकर को रामेश्वर का पुत्र बताया गया है। भवानीशंकर साबिक जमाबन्दी स. 2015–18 के अनुसार जगन्नाथ का पुत्र होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी स. 2072–75 खाता स. 622–561 में भवानी शंकर ,गोविन्द ,गोपाल, श्याम सुन्दर पिसरान रामेश्वर कोम ब्राम्हण दर्ज है के स्थान पर भवानी शंकर पि.जगन्नाथ , गोविन्द,गोपाल,श्याम सुन्दर पिसरान रामेश्वर का नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सावर को दिये जाते है। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेंगें।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को केम्प मेहरूकंला मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:36:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner